न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

बइजलास :— सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

मु0न0:— 164 / 2015

निर्णय दिनांकः— 14 / 06 / 2017

राजू देवी धर्मपत्नि श्री गोपाल स्वामी निवासी सेहदरिया तहसील फागी जिला जयपुर।
प्रार्थीया

बनाम

1. तहसीलदार तहसील फागी जिला जयपुर ।
2. नायब तहसीलदार उप तहसील माधोराजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
3. मोंहन कवंर धर्मपत्नि श्योराज सिंह जाति राव राजपूत निवासी ग्राम सेहदरिया तहसील फागी जिला जयपुर।
4. पुरूषोतम पुत्र वियजलाल जाति पुरोहित निवासी ग्राम सेहदरिया तहसील फागी जिला जयपुर।
5. मथरा देवी पत्नि हनुमान सहाय जाति स्वामी निवासी ग्राम सेहदरिया तहसील फागी जिला जयपुर।
6. प्रभाती बेवा गैदींलाल जाति नाई निवासी ग्राम सेहदरिया तहसील फागी जिला जयपुर।
7. विमल कुमार पुत्र रतनलाल जाति जैन निवासी ग्राम सेहदरिया तहसील फागी जिला जयपुर।
8. राजेश कुमार पुत्र रतनलाल जाति जैन निवासी ग्राम सेहदरिया तहसील फागी जिला जयपुर।
9. अशोक कुमार पुत्र रतनलाल जाति जैन निवासी ग्राम सेहदरिया तहसील फागी जिला जयपुर।
10. नानगराम पुत्र भुरा जाति कुम्हार निवासी ग्राम सेहदरिया तहसील फागी जिला जयपुर।
11. श्योजीराम पुत्र भुरा जाति कुम्हार निवासी ग्राम सेहदरिया तहसील फागी जिला जयपुर।

अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ताः— श्री गोविन्द सिंह पंवार वकील प्रार्थी

श्री संजीव कुमार पारीक वकील प्रति0 सं0 6

श्री विनोद कुमार जैन वकील प्रति0 सं0 7

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

लगातार.................... 2

श्री राजेन्द्र जैन वकील प्रति0 सं0 8व 9

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एल0आर0एक्ट0 ::–

–:: निर्णय ::– दिनांक 14.06.2017

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप्त इस प्रकार है कि खतौनी संख्या 214 के आराजी ख0न0 719 रकबा 07 बीघा 03 बिस्वा भूमि वाके ग्राम सेहदरिया पटवार हल्का सेहदरिया भू. अभि.नि. क्षैत्र माधोराजपुरा तहसील फागी में स्थित आराजी प्रार्थीया खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थीगण प्रार्थीया के कब्जे काश्त की भूमि मे विवाद उत्पन्न करने लगे तो प्रार्थीया ने आराजी भूमि विधिवत रूप से श्रीमान उपतहसीलदार माधोराजपुरा के आदेश क्रमांक 29 दिनांक 05.06.2014 की पालना में दिनांक 24.06.2015 को पटवारी हल्का सेहदरिया से सीमाज्ञान करवाया गया जब सीमाज्ञान पूर्ण हो गया एवं फिर भी अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सीमाज्ञान दिनांक 24.06.2014 को मध्य नजर रख पक्षकारों की मौजूदगी में सीमाज्ञान कर रिपोर्ट सीमाज्ञान प्रत्येक खेत की चारो भूजाओं की नाप मय फर्द नक्शे की दर्शाते हुये पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की एवं उक्त सीमाज्ञान में कायम किये गये निशानात को अप्रार्थीगण द्वारा मिटा दिया गया। सीमाज्ञान दिनांक 24.06.2014 एवं आदेश दिनांक 05.06.2014 उपतहसीलदार माधोराजपुरा के आदेश पर हुये सीमाज्ञान दिनांक 24.06.2014 को हुये सीमाज्ञान एवं कायम किये निशानात को अप्रार्थीगण नही मानते तथा प्रार्थीया से आये दिन लडाई झगडा व मेर कोर को लेकर करते है तथा पत्थरगढी नही होने से अप्रार्थीगण विवाद उत्पन्न करते है। इस कारण प्रार्थीया का यह प्रार्थना पत्र पत्थरगढी पेश करना लाजिमी हुआ है। सीमाज्ञान दिनांक 24.06.2014 एवं उपतहसीलदार माधोराजपुरा के आदेशनुसार किये गये सीमाज्ञान दिनांक 24. 06.2014 के अनुसार यदि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि पर पत्थरगढी के आदेंश प्रदान किये जाकर पत्थरगढी कर दी जाती है तो मौके पर उपस्थित विवाद समाप्त हो सकेगा। विवादित आराजीयात एवं पक्षकारान का निवास स्थान माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार में स्थित होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की सुनवाई का श्रीमान न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलवी जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 6 की और वकील श्री संजीव पारीक ने वकालतनामा तथा जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। व अप्रार्थी संख्या 7 की और से श्री विनोद कुमार जैन एवं 8व 9 की और वकीलन श्री राजेन्द्र जैन ने वकालतनामा पेश किया। व दिनांक 31.03.2016 को अप्रार्थी संख्या 5, 10, 11 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। दिनांक 28. 04. 2016 को अप्रार्थी संख्या 4 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। दिनांक 23.08.2016 को

लगातार..............3

अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। तथा वकील अप्रार्थी संख्या 7, 8, 9 को काफी अवसर दिये जाने के बावजूद भी जबाब पेश नही किया। इसलिये अप्रार्थी संख्या 7, 8, 9 का जबाब बन्द किया गया।

पत्रावली कैम्प कोर्ट दौसरा में पेश हुई। उभयपक्ष की बहस सुनी गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। तथा बहस पर मनन व पत्रावली का अवलोकन करने पर हम प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या 214 के आराजी ख0न0 719 कुल किता 1 कुल रकबा 07 बीघा 03 बिस्वा भूमि वाके ग्राम सेहदरिया तहसील जिला जयपुर में स्थित आराजी का सीमान्त काश्तकारों की उपस्थिति में तहसीलदार फागी को सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2017 को कैम्प कोर्ट दौसरा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

कमांक/राजस्व/2017/393 दिनांक 4/7/17

तहसीलदार फागी

विषयः— मु0न0 164/2015 उनवान राजू देवी बनाम तहसीलदार वगै0 में निर्णय की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त उनवानी प्रकरण संख्या 164/2015 इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.06.2017 की प्रमाणित प्रति संलग्न है।मुताबिक निर्णय पालना कर पालना रिपोर्ट से अवगत करावे।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर